न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 88 / 2023

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. पूंजाराम पुत्र फूसाराम उम्र 40 वर्ष
2. मेनू पत्नि वालाराम उम्र 70 वर्ष
3. मानाराम पुत्र वालाराम उम्र 60 वर्ष

जातियान मेघवाल निवासी भीलो का सरा, खरंटिया
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अनाराम पुत्र धमाराम उम्र 30 वर्ष
2. केषाराम पुत्र धमाराम उम्र 45 वर्ष
3. खेताराम पुत्र दलाराम उम्र 50 वर्ष
4. मानीदेवी पत्नि मोहनराम उम्र 60 वर्ष
5. मिरगोदेवी पत्नि दलाराम उम्र 70 वर्ष
6. हीराराम पुत्र ताजाराम उम्र 70 वर्ष
7. अचलाराम पुत्र खेताराम उम्र 20 वर्ष
8. रूपाराम पुत्र खेताराम उम्र 25 वर्ष
9. रामाराम पुत्र खेताराम उम्र 35 वर्ष

जातियान मेघवाल निवासी खरंटिया
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

10. कानाराम पुत्र मूलाराम उम्र 55 वर्ष
11. खेमाराम पुत्र पुरखाराम उम्र 70 वर्ष
12. धीराराम पुत्र मूलाराम उम्र 60 वर्ष
13. नथु पत्नि मगाराम उम्र 70 वर्ष
14. नेमाराम पुत्र मेगाराम उम्र 20 वर्ष
15. प्रतापाराम पुत्र मेगाराम उम्र 22 वर्ष
16. बाबूराम पुत्र मूलाराम उम्र 50 वर्ष
17. रूखमोदेवी पत्नि मेगाराम उम्र 23 वर्ष
18. रावताराम पुत्र मगाराम उम्र 45 वर्ष
19. उदाराम पुत्र कानाराम उम्र 65 वर्ष
20. दीपाराम पुत्र कानाराम उम्र 55 वर्ष
21. रूपाराम पुत्र चिमाराम उम्र 40 वर्ष

जातियान जाट निवासी खरंटिया
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

22. कुनणो पत्नि केहराराम उम्र 80 वर्ष
23. दीपाराम पुत्र केहराराम उम्र 45 वर्ष
24. शंभूराम पत्नि केहराराम उम्र 30 वर्ष
25. हडमानराम पुत्र केहराराम उम्र 35 वर्ष
26. सोनाराम पुत्र वनाराम उम्र 65 वर्ष
27. मूलाराम पुत्र खेताराम उम्र 80 वर्ष
28. खीमाराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 40 वर्ष
29. हिमताराम पुत्र खेताराम उम्र 75 वर्ष
30. गुमनाराम पुत्र रतनाराम उम्र 40 वर्ष
31. नारणाराम पुत्र रतनाराम उम्र 30 वर्ष

सिणधरी

32. रूपाराम पुत्र रतनाराम उम्र 42 वर्ष
33. हरूराम पुत्र रतनाराम उम्र 27 वर्ष
जातियान भील निवासी भीलों का सरा, खरंटिया
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
34. उदाराम पुत्र तगाराम उम्र 40 वर्ष
35. कालूराम पुत्र तगाराम उम्र 42 वर्ष
जाति लोहार निवासी भीलों का सरा, खरंटिया
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
36. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 21.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा भीलो का सरा पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, मौजा खरंटिया खसरा संख्या 209 रकबा 2.3785 हैक्टेयर, खसरा संख्या 468/209 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा भीलो का सरा पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, मौजा खरंटिया खसरा संख्या 209 रकबा 2.3785 हैक्टेयर, खसरा संख्या 468/209 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा भीलो का सरा पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, मौजा खरंटिया खसरा संख्या 209 रकबा 2. 3785 हैक्टेयर, खसरा संख्या 468/209 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा भीलो का सरा पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, मौजा खरंटिया खसरा संख्या 209 रकबा 2. 3785 हैक्टेयर, खसरा संख्या 468/209 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा भीलो का सरा पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, मौजा खरंटिया खसरा संख्या 209 रकबा 2.3785 हैक्टेयर, खसरा संख्या 468/209 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भीलो का सरा पटवार क्षेत्र खरंटिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, खसरा संख्या 469/313 रकबा 6.3749 हैक्टेयर, मौजा खरंटिया खसरा संख्या 209 रकबा 2.3785 हैक्टेयर, खसरा संख्या 468/209 रकबा 2.3218 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी